



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22702-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 259/2026

मोहम्मद आरिफ

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राज कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता हैं, द्वारा दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 7 को वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानांतरित करने के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देने की मांग की गई है और मुख्यालय जौनपुर में तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर के संबंध में कामकाज को लेकर शिकायत दर्ज की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि अधिवक्ताओं द्वारा प्रत्यावेदन दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 7 के स्थानांतरण की मांग की गई है और स्थानांतरण न होने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है।
3. वर्तमान प्रकृति के प्रत्यावेदन दाखिल करना और फिर एक जनहित याचिका में किसी अधिकारी के स्थानांतरण के लिए न्यायालय से निर्देश मांगना, स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ताओं से अधिकारियों की तैनाती के बारे में निर्णय लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
4. जहाँ तक तहसील से संबंधित कामकाज का प्रश्न है, किसी भी प्रत्यावेदन में विशेष रूप से मामले के उक्त पहलू के संबंध में शिकायत नहीं की गई है। प्रत्यावेदन देने का मुख्य उद्देश्य प्रत्यर्थी संख्या 7 का स्थानांतरण कराना रहा है।
5. उस स्थिति में, यदि आपत्ति कामकाज के स्थान से संबंधित है, तो शिकायत को मामले के केवल उक्त पहलू तक ही सीमित रखना होगा और यदि ऐसी शिकायत उठाई जाती है, तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार उसका निस्तारण किया जाएगा।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 3, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मुकेश पाल/ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"